भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 406वीं एनओसी बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - बोर्ड रूम, चौथी मंजिल, धरोहर भवन
दिनांक एवं समय - 21 सितम्बर, 2023 अपराह्न 3.00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

405वीं एनओसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 02

ऑनलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट छह, सी एंड डी.एस., यूपी जल निगम, 3/416, विश्वास खंड, गोमती नगर, लखनऊ)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि निर्माण का प्रस्तावित स्थल प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ए(4) के अनुसार किसी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामला संख्या 02

(श्री अब्दुल मलिक, ग्राम बर्डपुर, नं. 1, टोला अलीगढ़वा, पोस्ट पचंगवा, सिद्धार्थनगर, यूपी-272202)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को सही ऊंचाई का उल्लेख करते हुए भवन योजना पुन: जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया और सीए सीपीएम के नाम को फिर से सत्यापित करें क्योंकि यह फॉर्म- II और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में अलग-अलग लिखा गया है।

भास्कर वर्मा

मामला संख्या 03

(श्री बी. श्रीनिवासन पुत्र बालाकृष्णन, बी. श्रीनिवासन, नंबर 648, ओर्रानथोप्पु, थिरुचेराई कुंभकोणम, तंजावुर - 612605)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.84 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना पुन: जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 04

(श्री एस. करुणाकरन, नंबर 3/11, थॉमस स्ट्रीट, कडापेरी, तांबरम, चेन्नई 600045)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को वर्तमान तिथि का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा पत्र फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 05

(श्री आर.जगदीश और श्री आर.संतोष, पट्टा सर्वे नंबर 275/10बी1 ए, सेलियाम्मन कोइल स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टी.एस. नंबर 92/1, कीलकट्टलाई, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.82 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + प्रथम मंजिल के साथ भूतल = 115.14 वर्ग मीटर, 1एफ = 162.08 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री श्रीनिवासन. एस, नंबर 11/5, न्यू कॉलोनी, चौथा स्ट्रीट, अदंबक्कम चेन्नई-600088)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **9.33 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना जमा के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 07

(श्री श्रीनिवासन एस. नंबर 11/5, न्यू कॉलोनी 4एच स्ट्रीट, अदंबक्कम चेन्नई- 600088)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **9.33 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना जमा के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 08

(श्रीमती एस. पार्वती अम्माल और श्रीमती एस. शक्तिमलार, डी.नं.36/97 बावा स्ट्रीट, बिग कांचीपुरम)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टी.एस. नंबर 2487/6बी और 2487/6सी, एकंबरनाथर, तमिलनाडु में 7.57 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + प्रथम मंजिल के साथ भूतल = 1एफ = 44.58 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र = 26.92 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्री सुंदरमूर्ति राव, नंबर 1बी, श्री पेरुमल नगर एक्सटेंशन, नानमंगलम, चेन्नई-600129)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 1पीटी ईस्ट साइड, एस. नं 297/3ए6, कीलकट्टलाई, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 14.43 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ प्रस्तावित स्टिल्ट क्षेत्र = 35.59 वर्गमीटर, प्रस्तावित 1एफ = 2एफ = 3एफ = 34.67 वर्गमीटर, हेडरूम और लिफ्ट क्षेत्र = 6.81 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(श्री जेपी शिवबालन और श्रीमती विनोदा, नंबर 29, बालाजी नगर, तीसरी स्ट्रीट, अदंबक्कम, चेन्नई-600088)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र.सं.21/4ए, जमीन पल्लावरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई, तमिलनाडु, में 6.67 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 61.31 वर्गमीटर, खुली जगह = 28.61 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

Shekhar Verma

मामला संख्या 11

(श्री दिनेश बाबू टी, नंबर 8, मधुरा नगर, सेंथनकुडी, मायलादुथुराई - 609001)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्रमांक: 553/15, मदमबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 12.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलो के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 73.69 वर्गमीटर, प्रस्तावित हेडरूम क्षेत्र = 10.71 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 12

(श्री वराथन ओ एस, नंबर 20, वेंकटैया पिल्लई स्ट्रीट उथिरामेरुर टाउन एवं तालुक, जिला- कांचीपुरम)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र.सं.: 1570/31, वेंकटैया पिल्लई स्ट्रीट, उथिरामेरुर में 6.19 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ के साथ प्रस्तावित जीएफ = 100.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 13

(श्रीमती के.श्रीमती, पत्नी श्री कार्तिकेयन, दरवाजा एनपी: 958, वेंकोबाराव लेन, नालुकलमंदबम, तंजावुर टाउन)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टी.एस. नंबर 2499 एवं 2500, तंजावुर, तमिलनाडु में 7.84 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 107.20 वर्गमीटर, खाली क्षेत्र = 151.30 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 14

(श्री. पी. वेंकटरमण, सुपुत्र पार्थसारथी, दरवाजा नंबर 12/1534, थोपिल पिल्लयार कोविल स्ट्रीट, साउथ रैम्पर्ट, तंजावुर टाउन)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टी.एस. नंबर 1534/2, तंजावुर, तमिलनाडु में 7.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 17.95 वर्गमीटर, खुली जगह क्षेत्र = 12.05 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 15

(श्री पी. सिंगारवेलु, सुपुत्र पार्थसारथी, दरवाजा नं. 12/1534, थोपिल पिल्लयार कोविल स्ट्रीट, साउथ रैम्पर्ट, तंजावुर टाउन)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टी.एस. नंबर 1534/3, तंजावुर, तमिलनाडु में 7.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 17.28 वर्गमीटर, प्रस्तावित 1एफ = 14.86 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 12.72 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 16

(श्री पी. श्रीनिवासन, सुपुत्र पार्थसारथी, दरवाजा नंबर 20, नइमैक्करा स्ट्रीट, डिंडीगुल टाउन)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टी.एस. नंबर 1534/1, तंजावुर, तमिलनाडु में 7.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1 एफ = 17.95 वर्गमीटर, खुली जगह क्षेत्र = 12.05 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 17

(मैसर्स तंजावुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दरवाजा नंबर: 1812, तंजावुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वेस्ट मेन स्ट्रीट, तंजावुर-613009)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.5 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 18

(श्रीमती के थंगम, भूखंड संख्या: 4, ईश्वरन नगर, पट्टा क्रमांक: 297/2ए 1 सी पार्ट, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी.नं. 4, क्र.सं. 297/2ए1सी भाग, कीलकट्टलाई, पल्लावरम में 12.53 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ स्टिल्ट +2 के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 27.88 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र = 7.90 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 19

(श्री किंग्स्टन पैकियाराज ज्ञानराज, जी4, आधी कैलाश फ्लैट्स, 23वां क्रॉस स्ट्रीट, अंबल नगर, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी.नं. 1पीटी, क्रमांक 297/3ए6पीटी, 3ए5पीटी, कीलकट्टलाई, पल्लावरम चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 16.87 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ प्रस्तावित स्टिल्ट = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 56.87 वर्गमीटर, हेडरूम एवं लिफ्ट क्षेत्र = 14.39 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 20

(श्रीमती वी. जानकी, थाई नारायण फ्लैट्स, बीएस4, नंबर: 20ए, नारायणस्वामी स्ट्रीट, पझावंतंगल, चेन्नई -600114)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को प्रस्तावित निर्माण स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा पत्र फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 21

(श्री धनसेकर रवि और श्रीमती पवित्रा एस, नंबर जी1, भूखंड संख्या 12, वीजीपी बाबू नगर, 4वीं स्ट्रीट, मेदावक्कम, चेन्नई-600100)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र.सं. 577/2 बी2, मैडमबक्कम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 11.77 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ प्रस्तावित ग्राउंड फ्लोर (पीटी) = 42.67 वर्गमीटर, प्रस्तावित 1एफ = 2एफ = 86.30 वर्गमीटर, प्रस्तावित कार पार्किंग क्षेत्र = 43.63 वर्गमीटर, प्रस्तावित हेडरूम क्षेत्र = 13.06 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 22

(श्री अरुण कुमार वरदराजन और श्रीमती पी सरन्या, नंबर 2/1, जीवानंदम स्ट्रीट, गांधी नगर, अराकोणम , रानीपेट-631003)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र.सं. 577/2बी1, मदंबक्कम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 11.77 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ प्रस्तावित ग्राउंड फ्लोर क्षेत्र (पीटी.) = 47.90 वर्गमीटर, प्रस्तावित 1एफ = 2एफ = 82.02 वर्गमीटर, प्रस्तावित कार पार्किंग क्षेत्र = 34.12 वर्गमीटर, प्रस्तावित हेडरूम क्षेत्र = 11.46 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान किया जाएगा। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 23

(श्री ई.आर. कुमार, नंबर 4, कुमार्स एन्क्लेव, दरवाजा नंबर 5, फ्लैट नंबर बी, प्रथम मेन रोड, बेबी नगर, वेलाचेरी, चेन्नई - 600042)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र.सं. 350/15 एवं 353/32, पेरुंबक्कम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.06 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की

संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 54.44 वर्गमीटर, हेडरूम = 19.04 वर्गमीटर, चारदीवार = 1.52 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 24

(श्री कुमारेसन एन, नंबर 8, अन्ना द्वितीय क्रॉस स्ट्रीट, मैडमबक्कम, चेन्नई, 600126)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र.सं. 701/22बी, मदंबक्कम, तंबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 6.48 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ के साथ प्रस्तावित जीएफ = 53.69 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 25

(श्री जी चन्द्र शेखर नायडू, 19-3-5/डी2, श्रीनिवासपुरम, रेनिगुंटा रोड, तिरूपति-517501)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने पहले ही प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है और एएमएएसआर अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए एसए, एएसआई, आंध्र प्रदेश सर्कल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मामला संख्या 26

(श्री जामपानी राधाकृष्णमूर्ति पुत्र स्वर्गीय हनुमंत राव 2. टाटा वेंकट आदि लक्ष्मी पत्नी टाटा मोहना वरप्रसाद, दरवाजा नंबर: डब्ल्यूबी 3-101/4 विवेकानंद कॉलोनी, बापटला नगर पालिका, आंध्र प्रदेश-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण को सूचित करते हुए एएमएएसआर नियम, 2011 के नियम 8 (1) के साथ पठित नियम 6 (VI) के तहत आवेदन का निपटान करने का निर्देश देते हुए मामले को सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 27

(श्री दकामरि शंकर राव, पुत्र डी. लोवाराजू, डी.नं. 1-239/3, टीचर्स कॉलोनी, रायुडुपालेम, काकीनाडा ग्रामीण-533005)

आवेदन पर विचार करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदक को यह उल्लेख करना होगा कि इस प्लॉटिंग में कौन सा निर्माण शामिल होगा,
2. प्लॉटिंग से जुड़े कार्य का दायरा, इसमें शामिल सिविल निर्माण का विवरण और प्लॉटिंग में प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं।
3. संपत्ति दस्तावेज़ में प्रस्तावित पते का उल्लेख नहीं है।
4. प्रस्तावित स्थल पर किए जाने वाले कार्य के दायरे का उल्लेख करते हुए सही भवन योजना प्रस्तुत करें।
5. स्व-घोषणा संलग्न नहीं है।

<u>मामला संख्या 28</u>

(श्रीमती सोमा सरकार, हेतिया, जॉयपुर, बांकुरा, 722138)

आवेदन पर विचार करने के बाद अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने, तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने और वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगाई गई प्रस्तावित स्थल पते का उल्लेख करते हुए आवेदक को स्थल योजना फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

<u>मामला संख्या 29</u>

(श्री चिरंजीत सरकार, पुत्र अशोक सरकार, हेतिया, जॉयपुर, बांकुरा-722138)

आवेदन पर विचार करने के बाद अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने, तदनुसार वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगाई गई संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

<u>मामला संख्या 30</u>

(श्रीमती झूमा मकुर, नतुन महल, बिष्णुपुर, बांकुरा-722122)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर.एस. 13379, 13380 और एलआर 2231, किला नियर तिलबारी, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में 5.775 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 54.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 31

(श्री कोटे दुर्गादेवी देवस्थान सेवा समिति, एट- कोटे रास्ते उप्पर ओनी, रत्तीहल्ली टीक्यू-रत्तीहल्ली, जिला- हावेरी - 581116)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 85बी, रत्तीहल्ली, हावेरी, कर्नाटक में 5.40 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 59.13 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ मंदिर भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 32

(श्री बर्ल वेंकट रमण बाबू, दरवाजा नं.15-2-51, वार्ड नं.19, ओल्ड सराफ बाजार, बापटला मंडल, बापटला जिला, आंध्र प्रदेश-522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना और स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 33

(श्रीमती सयाला शैलजा, दरवाजा नंबर 10-3-76, वार्ड नंबर 18, सरकारी अस्पताल रोड, बापटला नगर पालिका, बापटला जिला, आंध्र प्रदेश - 522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **10.00 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना और स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

ऑफ़लाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(श्री लाडू किशोर रथ और श्री चन्द्रशेखर रथ, ए-202 सागरिका एन्क्लेव, गंडामुंडा रिलायंस फ्रेश के पास, भुवनेश्वर, खंडगिरि खोरधा, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नोट किया कि इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक के लिए एनएमए में प्राप्त यह पहला आवेदन है और केंद्रीय संरक्षित स्मारक के संरक्षण, सुरक्षा, अभिरक्षा या पहुंच को ध्यान में रखते हुए आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **11.00 मीटर** तक (कुल मिलाकर) सीमित रखने और तदनुसार संशोधित स्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया है।

मास्क शर्मा

मामला संख्या 02

(श्री प्रवत रंजन बेउरिया, जीए-834, जीए कॉलोनी, भरतपुर, भुवनेश्वर - 751029 ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या 126/2461/3574, खाता नंबर 1133/3450 मौजा - जगमारा, भुवनेश्वर जिला - खुर्दा, ओडिशा में 12.90 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 227.10 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 224.31 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। भवन निर्माण के समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री अंजन कुमार जेना, क्वार्टर नंबर 2आरए 3/4 (फ्लैट) यूनिट-IX, पीओ- भोई नगर, पीएस शहीद नगर, भुवनेश्वर जिला - खुर्दा, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या 2753 खाता नंबर 1731/184, मौजा - भुवनेश्वर सहारा, गौतम नगर, यूनिट-28, भुवनेश्वर, जिला- खुर्दा, ओडिशा में 8.73 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 101.63 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है । भवन निर्माण के समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्रीमती मंजुला देवी श्रॉफ, श्री रविंद्र जेटली, श्री राजीव शर्मा, श्री कवित गुप्त जीपीए श्री प्रशांत नागपाल, वाई-89, हौज़ खास, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में वाई-89, हौज़ खास, नई दिल्ली में 17.99 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 187.42 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 2.98 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट

में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

अनुपालन ऑनलाइन मामले

मामला संख्या 01

(श्री अशफाक अहमद जी. पटेल, सुपुत्र गौस मोहिउद्दीन पटेल, सकाफ रोजा विजयपुर)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सी.टी.एस. नंबर 274/2बी एवं 275/1बी, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 89.15 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री अलपति ब्रह्मानंदम सुपुत्र सुब्बाराव, दरवाजा नंबर 15-3-12 जी.बी.सी रोड बापटला, आंध्र प्रदेश - 522101)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 510/11, जी.बी.सी रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 10.00 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 45.02 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 0.50 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला संख्या 03

(अतिरिक्त सिटी इंजीनियर, अहमदाबाद नगर निगम, 5वीं मंजिल, जल परियोजना, सरदार पटेल भवन, दानापीठ, अहमदाबाद, नगर निगम, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने और प्राधिकरण द्वारा बाद में स्थल के दौरे के बाद इस मामले में एफ.पी. नं. 4/भाग, टी.पी.नं.13, बेहरामपुरा, अहमदाबाद, गुजरात में 30.95 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ 235.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के

ओवर हेड वॉटर टैंक के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

पुनर्विचार किए गए ऑनलाइन मामले

मामला संख्या 01

(श्री प्रकाश एस. ए., पुलिस हेड कांस्टेबल, सी/ओ नरसिम्हामूर्ति (शिक्षक), दूसरा क्रॉस, रंगनाथ नगर, श्रीरंगपट्टन)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 2-524-361, एस-5199/352/353/1/353/2/156 चंदागालु रोड, गंजाम, श्रीरंगपट्टन, मांड्या, कर्नाटक में 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 62.30 वर्गमीटर, 1एफ = 70.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त कार्यसूची

ऑनलाइन नये मामले

मामला संख्या 01

(श्री राजीव बंसल, प्लॉट नंबर 14, ब्लॉक-बी-3, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या 14, ब्लॉक-बी-3, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = 187.418 वर्गमीटर, जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 183.723 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 3.40 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

दिल्ली मामला संख्या 02

(श्री दर्पण कात्याल, श्रीमती तूलिका पुरी कात्याल और श्रीमती रूपाली गौर, भूखंड संख्या 6 पुराना नंबर ए 107, खसरा नंबर 108 गांव बेगमपुर, नई दिल्ली के लाल डोरा की आबादी में स्थित)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या 6 ओल्ड नंबर ए 107 ख संख्या 108 गांव बेगमपुर नई दिल्ली के लाल डोरा की आबादी में स्थित 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 281.22 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 196.53 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 3.50 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

दिल्ली मामला संख्या 03

(श्री रघुनन्दन लाल नागपाल, भूखंड सं. 18, न्यू मार्केट मालवीय नगर, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या 18, न्यू मार्केट मालवीय नगर, नई दिल्ली में 12.90 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ बेसमेंट + जीएफ + 3 मंज़िलों के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 52.42 वर्गमीटर, बेसमेंट = 57.50 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 3.66 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

दिल्ली मामला संख्या 04

(श्री राकेश कुमार भार्गव एवं श्रीमती मधु भार्गव, भूखंड संख्या 23, ब्लॉक नंबर ए-2, सफदरजंग एन्क्लेव)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने कोई कानूनी विवाद नहीं होने और उक्त संपत्ति के खिलाफ कोई अदालती मामला लंबित नहीं होने के संबंध में स्व-घोषणा प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित एक नया आवेदन जमा कर सकता है।

दिल्ली मामला संख्या 05

(श्री तलित जैन एवं श्री आनंद जैन, निवासी/ओ-ए-13, वीर नगर, जैन कॉलोनी, दिल्ली-110007)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक द्वारा प्रदान की गई स्व-घोषणा पर मालिक द्वारा विधिवत स्याही से हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जबकि पिछले आवेदन को इन्हीं कारणों से अस्वीकृत किया गया था। आवेदक पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित एक नया आवेदन जमा कर सकता है।

<u>दिल्ली मामला संख्या 06</u>

(श्री मोहम्मद फरीद मोहम्मद जीशान खान अब्दुल रशीद अंसारी एतद्वारा नियुक्त मनोनीत संविधान प्राधिकृत मो आलम, ई-48, न्यू सीलमपुर, जाफराबाद, दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक द्वारा प्रदान किया गया जीपीए उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत नहीं है। आवेदक पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ विधिवत नया आवेदन जमा कर सकता है।